P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* (Part-1) April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

श्वेतवसन अपराध : एक गंभीर सामाजिक समस्या

रूपा चौधरी
शोधार्थिनी,
समाजशास्त्र विभाग,
सी. सी. एस. यूनिवर्सिटी,
मेरठ (यू.पी.), भारत

सारांश

विगत् वर्षों में सफेदपोश अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। विभिन्न क्षेत्रों में श्वेतवसन अपराध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने सम्पूर्ण समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। ऐसे अपराध सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों के प्रति अविश्वास की भावना को बढ़ाने में सहायक हैं। सफेदपोश अपराधी समाज में सम्मानित व उच्च प्रस्थिति वाले व्यक्ति हैं जो अपने पद का दुरूपयोग कर अपराध करते हैं। ऐसे अपराध व अपराधियों के विषय में विभिन्न देशों में शोध कार्य जारी है व काफी कुछ लिखा भी गया है, परन्तु हमारे देश में इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। अभिजात्य वर्ग के अपराधों को समाज द्वारा अनदेखा करना भविष्य में घातक परिणाम देने वाला होगा। ऐसे में सफेदपोश अपराध की समस्या को चिन्हित कर इसके दुष्प्रभावों का अंकन करना जरूरी है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि हम इस अपराध के प्रति जागरूक होकर इसका विरोध करें तथा इसके उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयासरत रहें ताकि सामाजिक विकास अवरूद्ध न हो सके।

मुख्य शब्द : सफेदपोश, अपराध, समाज, मूल्य, अविश्वास, नैतिकता, अभिजात्य, व्यवसाय, व्यवस्था, कानून।

प्रस्तावना

समाज एवं अपराध का घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक आदर्शों व नियमों या सामाजिक व्यवस्था के विरूद्ध कोई भी कार्य अपराध कहलाता है। युग परिवर्तन के साथ अपराध के भी विविध रूप सामने आये हैं, जिनमें से एक है श्वेतवसन अपराध।

श्वेतवसन अपराध को अभिजात या भद्रवर्गीय अपराध, सफेद वस्त्रधारी अपराध अथवा सफेदपोश अपराध भी कहा जाता है। अमेरिकी क्रिमनोलोजिस्ट 'एडविन एच सदरलैण्ड' के अनुसार– ''श्वेतवसन अपराध सम्मानित और उच्च सामाजिक प्रस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध है।''[1] श्वेतवसन अपराधी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों के उच्च पदों पर आसीन वे लोग हैं जो अपने लाभ के लिए कानून तोड़ते हैं परन्तु अपने उच्च पद व ऊँची पहुँच के कारण कानून की पकड में नहीं आ पाते।

व्यवसाय के विस्तार के साथ हर क्षेत्र में सफेदपोश अपराध बढ़ रहा है। भारत में भी इसके अनेकों उदाहरण हैं जो समाज के आर्थिक व नैतिक पतन के लिए जिम्मेदार हैं। श्वेतवसन अपराधी आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, इसी कारण ये कानून व्यवस्था पर भी नियंत्रण रखने का प्रयत्न करते हैं और कानून तोड़ने के बाद भी समाज में अपनी प्रतिष्ठा पूर्ववत् बनाये रखते हैं। यही कारण है कि ये अपराधी सामान्य अपराधियों की तुलना में अधिक खतरनाक हैं जो समाज में नैतिकता के पतन के साथ परस्पर अविश्वास में वृद्धि कर सामाजिक विघटन की दशा उत्पन्न करते हैं।

''श्वेतवसन अपराध जनता का अधिकारियों एवं अपराध में लगे लोगों दोनों पर विश्वास को भंग करता है इसलिए इन अपराधों की कीमत उन अपराधों से जिन्हें परंपरागत रूप से अपराध समस्या माना जाता है, से कई गुना ज्यादा होती है।''[2] क्योंकि ऐसे अपराध लोकतंत्र में अनास्था उत्पन्न होने का प्रमुख कारण बनते हैं।

श्वेतवसन अपराध के कई रूप हैं। विश्वासघात, आर्थिक गबन, व्यापार संबंधी रिश्वत, जालसाजी, ट्रेडमार्क व पेटेंट उल्लंघन आदि अपराध सफेदपोश अपराधों में शामिल हैं। भारत में श्वेतवसन अपराधों के अनेक मामले सामने आ चुके हैं। श्वेतवसन अपराधों की प्रवृत्ति के बारे में जानने के लिए ऐसे कुछ उदाहरणों का अवलोकन कर लेना भी उपयुक्त रहेगा।

बहुचर्चित पी0एन0बी0 बैंक घोटाला इसका प्रमुख उदाहरण है। इस घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी, मेहुल चोकसी व पी0एन0बी0 की मुंबई स्थित ब्रेडी हाऊस शाखा के अधिकारी हैं। अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी

व उसके साथियों ने पी0एन0बी0 के आला अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी एल0ओ0यू0 या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए बैंक से रकम ले कर विदेशों में ट्रॉंसफर की और पता चलने पर सभी आरोपी कानून को चकमा देकर विदेश भाग गए।[3] लगभग चौदह हजार करोड़ रूपये का पी0एन0बी0 घोटाला सामने आया। ये घोटाला बैंक की मार्केट वैल्यू का करीब एक तिहाई और साल 2017 की आखिरी तिमाही के मुनाफे का 50 गुना है।[4] इस घटना से बैंकों के प्रति जनता का अविश्वास तो बढ़ा ही साथ ही अपराधियों पर ठोस कानूनी कार्यवाही न होने के कारण कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।

दूसरे उदाहरण के तौर पर मशहूर स्टाम्प घोटाले को लिया जा सकता है। सन् 2001 में पुलिस ने अब्दुल करीम तेलगी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पिछले 10 साल से तेलगी डुप्लीकेट स्टाम्प व स्टाम्प पेपर बनाकर बेचने का व्यवसाय कर रहा था। एस0आई0टी0 की रिपोर्ट के अनुसार बीस हजार करोड़ रूपये से अधिक के इस घोटाले में तेलगी के साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों समेत कई प्रमुख राजनेता शामिल थे। तेलगी ने इस व्यवसाय में तीन सौ उच्च शिक्षित लोगों, अधिकांशतः एम0बी0ए0 पास डिग्री धारकों को एजेन्ट नियुक्त किया जो विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में जाकर नकली स्टाम्प पेपर आदि बेच सके।[5] पुलिस व राजनेताओं की छत्रछाया में तेलगी का कारोबार 10 साल तक फलता फूलता रहा। यही कारण है कि इस तरह के अपराधों के प्रति जनता की भी मूक सहमति बन जाती है क्योंकि ऐसे अपराधी दण्ड से बच जाते हैं तभी तो तीन सौ उच्च शिक्षित युवाओं को भी इस काम में कोई बुराई नजर नहीं आई। कारावास अवधि के दौरान अक्टूबर 2017 में तेलगी की मृत्यु हो गयी। तेलगी की मृत्यु के लगभग एक साल बाद ''ठोस सुबूतों'' के अभाव में केस के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।[6]

राजनीति में सफेदपोश अपराधियों की कोई कमी नहीं है। आए दिन इसके उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। सन् 2004 से सन् 2009 के बीच हुआ कोयला आवंटन घोटाला इसका एक प्रमुख उदाहरण है। कैग द्वारा भारत सरकार पर आरोप लगाया गया के देश का कोयला भण्डार मनमाने तरीके से निजी व सरकारी कंपनियों को आवंटित किया गया जिसमें करीब दस हजार बिलियन की हानि हुई। इस घोटाले में झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री समेत अनेक प्रशासनिक अधिकारियों को दोषी करार दिया गया।[7] इसी तरह कैग द्वारा सन् 2010 में 2–जी स्पेक्ट्रम घोटाले का खुलासा किया गया। कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि मोबाइल सेवाओं के लिए आवंटित किए गये 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में नियमों की अनदेखी कर कौडियों के दामों पर दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम लाइसेंस दिए गए जिससे भारत सरकार के खजाने को करीब 1,76,000 करोड़ रू0 का नुकसान झेलना पड़ा। सी0बी0आई0 व ई0डी0 ने इन घोटालों को हाईकोर्ट के सामने 'नेशनल शेम' करार दिया।[8] तत्कालीन दूरसंचार मंत्री इस घोटाले के मुख्य आरोपी थे।

इसके अलावा बिहार में 9.5 बिलियन का चारा घोटाला, सत्यम कंपनी के अध्यक्ष रामलिंगम राजू द्वारा 7. 13 करोड़ रू0 का बहुचर्चित सत्यम घोटाला, शेयर ब्रोकर हर्षद मेहता का 4500 करोड़ रूपये का शेयर घोटाला व सन् 2010 के कॉमन वेल्थ गेम्स में होने वाला 70,000 करोड़ रू0 का घोटाला जैसे सभी प्रसिद्ध मामलों में अपराधी सम्मानित व उच्च पदों पर आसीन लोग हैं।

ये सभी उदाहरण तो पूरे भारत में जाने पहचाने हैं और इनका गलत प्रभाव भी सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में देखने को मिल ही जाता है, पर कुछ सफेदपोश अपराध ऐसे भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप में सामाजिक मूल्यों को खोखला करते जा रहे हैं। जैसे चिकित्सकों को भगवान माना जाता है पर आज ऐसे चिकित्सकों की भी कमी नहीं है जो धन कमाने के लिए सफेदपोश अपराध करते हैं। अधिक धन कमाने के लालच में ये झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाते हैं जिससे अन्य अपराधों को बढ़ावा मिलता है। झूठी मेडिकल रिपोर्ट के सहारे इन्सयोरेंस कंपनी से पैसा लेने के कई मामले सामने आए हैं। चिकित्सक मरीजों को एक साधारण दवाई भी विशेष दुकानों से खरीदने हेतु मजबूर करते हैं जहाँ से उन्हें मोटा कमीशन प्राप्त होता है।

इसी तरह वकील का कार्य है निर्दोष की पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाना पर कुछ वकीलों ने मुकदमें को केवल कमाई का साधन बना लिया है ऐसे वकील झूठी गवाही व गलत साक्ष्यों द्वारा निर्दोष को दण्ड दिलाते हैं और दोषियों को दण्ड से बचाते हैं। शिक्षण संस्थाओं में भी सफेदपोश अपराध अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। रिश्वत लेकर कॉलेजों में प्रवेश दे दिया जाता है जिससे शिक्षा का स्तर भी नीचे आ गया है।

सन् 1987 में सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज जीतामल पोरवाल एण्ड अदर नामक केस की सुनवाई की गई। जिसके दौरान जस्टिस ठक्कर द्वारा श्वेतवसन अपराध व अन्य अपराधों में अंतर को स्पष्ट करता एक महत्वपूर्ण कथन दिया गया– "Murder committed in the heat of moment but these economic offences are committed with a cool calculation are planned strategy to gain personal profits". यह कथन सफेदपोश अपराधों पर अपेक्षित गंभीर चिंतन की आवश्यकता पर बल देता है। श्वेतवसन अपराध सामान्य अपराध का ही एक स्वरूप है फिर भी जनता में इन अपराधों के प्रति जागरूकता नगण्य है। जनता सामान्य अपराधी को घृणा की दृष्टि से देखती है परन्तु इन अपराधियों के प्रति घृणा की मात्रा नहीं के बराबर होती है।[10] सफेदपोश अपराधियों पर कई वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया चलती रहती है तब तक समाज में इनकी कोई प्रासांगिकता भी शेष नहीं रहती।

श्वेतवसन अपराधियों द्वारा कानून का उल्लंघन बिना किसी ठोस विरोध व आलोचना के जारी रहता है क्योंकि अधिकांशतः इनका शिकार कमजोर वर्ग होता है, जिनमें अपराधियों को चुनौती देने की भी अधिक क्षमता नहीं होती और अगर पीड़ित पक्ष द्वारा चुनौती दे भी दी जाये तो ऐसे अपराधी अपनी उच्च प्रस्थिति व संबंधों द्वारा इनसे आसानी से निपट लेते हैं। कानूनी रूप से सदरलैण्ड महोदय ने श्वेतवसन अपराध व बाल अपराध को एक ही दृष्टि से देखा है और स्पष्ट किया है कि

दोनों मामलों में कानूनों को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि इनके करने वालों पर कलंक न लगे।[11]

श्वेतवसन अपराधी हमेशा ऐसे कानून बनने का विरोध करते हैं जिनके लागू होने से उनके कार्य अधिक सवींक्षा व नियंत्रण के अधीन हो जायेंगे।[12] इन अपराधों पर अगर गहराई से दृष्टि डाली जाये तो सामाजिक मूल्यों में आई गिरावट से एक द्वैत स्थिति का पता चलता है। एक ओर तो सामाजिक संरचना धन संग्रह को प्रकट करती है और दूसरी ओर ईमानदारी को भी मूल्य मानती है। मजदूर यदि ठेकेदार का सीमेन्ट चुरा ले तो वह अपराधी कहलाता है पर ठेकेदार अगर इमारतें बनाने में सीमेन्ट चोरी करे तो कोई उसे चोर कहने को तैयार नहीं होता। आबर्ट ने समाज की इस द्वैतवृत्ति को सामाजिक संरचना के एक त्रुटिपूर्ण सन्तुलन का लक्षण कहा है।[13]

सफेदपोश अपराध पूरे समाज पर विपरीत प्रभाव डालने वाला अपराध है। भारत में यह व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। आर्थिक संकट को पोषित करता यह अपराध जनता की ऊर्जा को भटकाने का कार्य कर रहा है। देश की पूँजी का रिसाव हुआ है और निम्न व उच्च वर्ग में वैमनस्य पैदा हो गया है। हम सामान्य अपराध के कारण गरीबी, बुनियादी सुविधाओं की कमी, मनोरंजन की कमी, छोटी सोच व भावनात्मक अस्थिरता को गिनते हैं, लेकिन सफेदपोश अपराध जिनमें कारोबारी, पेशेवर, राजनेता, अफसर आदि उच्च पदस्थ लोग शामिल होते हैं वे अपने कारोबार, निजी स्वतंत्रता व खुली प्रतिस्पर्धा की आड़ में लालच व लालसा के कारण ज्यादा से ज्यादा भौतिक संसाधनों को जोड़ने के लिए अपराध को अंजाम देते हैं। श्वेतवसन अपराध हमारी सभ्यता के लिए खतरा है जिसके द्वारा भौतिकवादी संस्कृति का प्रचार–प्रसार होता है जो हमारी युवा पीढ़ी को भी निरन्तर दिशा भ्रमित कर रहा है। यदि समाज का कोई भी व्यक्ति इस तरह के अपराधों में लिप्त है तो समाज के हर हितैषी का यह कर्त्तव्य ही नहीं, अधिकार भी है कि वह उसके खिलाफ आवाज उठाए व इसकी आलोचना करें।

अध्ययन का उद्देश्य

समाज की निरन्तरता की कुँजी इस तथ्य में है कि समाज के सदस्य समाज द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलते रहें। सामाजिक आदर्शों का उल्लंघन सामाजिक विचलन कहलाता है। श्वेतवसन अपराध भी एक विचलित व्यवहार ही है, जो सामाजिक विघटन की स्थिति पैदा कर रहा है। अधिकांश समाज अपराध के इस स्वरूप के हानिकारक परिणामों से अनभिज्ञ हैं। श्वेतवसन अपराधों ने देश के आर्थिक ढ़ाँचे को अत्यधिक प्रभावित किया है जिससे देश के समेकित विकास पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ा है। समाज के उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समाज विरोधी कार्य जन–साधारण के लिए अत्यन्त घातक एवं दुःखद बन रहे हैं। ऐसे अपराधों ने देश के नागरिकों में चारित्रिक अधःपतन को बढ़ावा दिया है। इस शोध पत्र के माध्यम से श्वेतवसन अपराधों के स्वरूप का विश्लेषण करने के साथ–साथ इसके दुष्प्रभावों से भी अवगत कराने का प्रयास किया गया है ताकि इस पर अंकुश लगाने के विषय में गंभीरता से विचार किया जा सके।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन के पश्चात् कहा जा सकता है कि सफेदपोश अपराध अपने विविध रूपों में लगातार बढ़ रहा है, इससे कोई क्षेत्र अछूता नहीं बचा है। सफेदपोश अपराधों से न सिर्फ जनता का मनोबल टूटता है बल्कि देश को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। वस्तुतः इन अपराधों पर नियंत्रण पाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं पर यह आज के समय की महती आवश्यकता है कि जो उपाय व्यवस्था द्वारा अपनाए जाये वे कारगर ढ़ंग से लागू हों और कठोरता से अपनाए जाये। कानून व्यवस्था को भी इस ओर बड़े कदम उठाने पड़ेंगे ताकि समाज को इस बुराई से दूर किया जा सके और सामाजिक हित सुरक्षित रह सके। प्रशासकीय सुधार, सफेदपोश अपराधियों की जन–निंदा, कठोर दण्ड व्यवस्था, जनता को कानूनी ज्ञान, जनता में जागरूकता का विकास, समूहवाद की भावना का विकास, परोपकारी भावना का विकास तथा कल्याणकारी संस्थाओं के विकास से सफेदपोश अपराधों को समाप्त किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

ई0एच0 सदरलैण्डः व्हाइट कॉलर क्राइम, पृ0सं0–40

ई0एच0 सदरलैण्डः व्हाइट कॉलर क्रिमिनालिटी, पृ0सं0–4, 5

समाचार पत्रः दी इण्डियन एक्सप्रेस, पृ0स0–11, फरवरी 15, 2018, बृहस्पतिवार

देबिना गुप्ता, बी0बी0सी0 संवाददाता, बी0बी0सी0 न्यूज, bbc.com, 16 feb. 2018

अनिल धारकर, संवाददाता, ऑनलाईन एडिसन आफ 'दि हिंदू', रविवार, 30 नवम्बर 2003ः 'तेलगी इज सो इण्डियन'

समाचार पत्र : दी पायोनियर, पृ0सं0–1, मंगलवार, 1 जनवरी 2019

समाचार पत्र : दी इण्डियन एक्सप्रेस, पृ0सं0–7, दिसम्बर 14, 2017, बृहस्पतिवार

समाचार पत्रः दी इण्डियन एक्सप्रेस, पृ0सं0–9, 26 मई 2018, शनिवार

सुप्रीमकोर्ट, 1987, एस0सी0 1321, पैरा 4

धर्मवीर महाजन : सोसाइटी एण्ड क्राइम, पृ0सं0 94

ई0एच0 सदरलैण्डः अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू, वोल्यूम 10, नं0 2, 1945, पृ0सं0 132–139

धर्मवीर महाजन : सोसाइटी एण्ड क्राइम, पृ0सं0–100

वी0 आबर्ट : व्हाइट कॉलर क्राइम एण्ड सोशल स्ट्रक्चर, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, वोल्यूम 58, 1952, पृ0सं0 263–271